



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत S. D. O मुकाम भागलपुर (भरतपुर)
 रामसुरेश वनाम तटसीमदार वगैरे
 मुकदमा दावा नं. 5. सन. 16

तारीख हुयम	हुयम की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुयम की तामील में जारी हुए
	<p>25/18 तैहसील बधिकारी महोदय प्रेषण / वपकाय पर 3 चाबकी पुर्नानुसार दिनांक 25-3-16 को पेश है</p>	<p>✓</p>
<p>25.2.16</p>	<p>बकील काफ़ी उपर, प्रसि. ले 1, 2 की कोर्ट से N.T. नगर पंचायत सरका उपर नकल दमा की जाने. प्रसि. ले 3 की तलबी हेतु समान तलबी शर्त नरे / पनावली वाले जेनाम न तलबी हेतु 31-3-16 को पेश हो।</p>	<p>N.T. नगर</p>
<p>31.3.16</p>	<p>तैहसील बधिकारी महोदय प्रेषण / वपकाय पर 3 चाबकी पुर्नानुसार दिनांक 12-5-16 को पेश है</p>	<p>शर्त</p>
<p>16.5.16</p>	<p>आज पनावली राजल लोक अदालत अफिसान-2016 नाम अफके इर केंप पंडका मे प्रस्तुत हुई पक्षकारान ने अफस मे काड जेलन राजीनामा प्रस्तुत का निवेदन किया है कि काफ़ी राग मुल एवं रिकीदी एक ही व्यापकी है. जिलती गेव मे रिकीदी भी कहे है. अतः राजल रिपोर्ट मे रिकीदी पुन कहेया के लखन पर रागमुल पुन कहेया दर्ज किया जाने। राजीनामा रेलगाटका मॉडल द्वारा प्रमाणित किया गया जो प्रमाणित प्रमाणित है।</p> <p>पनावली मे उपलब्ध दस्तावेज</p>	<p>रागमुल</p> 

एवं राजीनामा का अकलंकित विषय / वादी
का दावा मुताबिक राजीनामा ठिकी-
किसमें जाने अगेज्म पाया जाता है।
अतः आदेश है कि - दावा
वादी मुताबिक राजीनामा ठिकी किया
जाता है। आ.व.नं. $\frac{149}{0.33}$ वाले आस
दंडाका तह. नगर के $\frac{1}{2}$ हि. पर शिंदी
पुन कहेया के ल्यान पर रामसुख पुन
कहेया घोषित किया जाता है, शेष
इसप्रकार यथावत रहेंगे। पूर्व में वादी
द्वारा शिंदी नाम से कोई इकरार -
अनुबंध किसे हो तो वे रामसुख पर यथावत
लागू रहेंगे। इसी प्रकार पन्ना ठिकी -
जाते हों।


(वृजेश (वडेलवाल))

रामसुख वैच


(संजीव कुमार शर्मा)